

ई-मेल: eecd27upavp@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड - 27

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्

वसुन्धरा काम्पलेक्स, सेक्टर - 16, वसुन्धरा, गाजियाबाद - 201012

193

/जी-10/42

दिनांक 02/9/11

आवश्यक/महत्वपूर्ण

रजिस्ट्रार नं० 41

राज्यीय निदेशक,
मैजिक वानिकी प्रभाग,

गाजियाबाद।

वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद के प्रस्तावित 216 नग बहुमजिले भवनों के कार्य स्थल से वृक्षों के पातन की अनुमति विषयक।

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-814/22-1/दिनांक गाजियाबाद, 18.08.11 का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त विषयांकित इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र सं० 1008/जी-10/31 दिनांक 23.07.11 के कार्य स्थल पर प्रस्तावित बहुमजिले भवनों का मुख्य निर्माण क्षेत्र में मात्र 47 नग वृक्षों के कारण ही रहा है। अतएव उक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से मात्र 47 नग वृक्षों के पातन की ही अनुमति प्रदान आपसे अनुरोध किया गया था। पूर्व में इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं० 977/जी-10/30 दिनांक 23.07.11 के द्वारा उक्त निर्माण स्थल तथा उसके चारों तरफ लगे हुए कुल 122 नग वृक्षों को ही अनुरोध किया गया था।

इस सम्बन्ध में आपको स्पष्ट रूप से अवगत कराना है कि केवल 47 नग वृक्ष ही मुख्य निर्माण के मध्य में जिनको स्थल से कटवाकर हटवाया जाना अति आवश्यक है।

तदनुसार ही इस कार्यालय के पत्रांक-1008/जी-10/31 दिनांक 23.07.11 के द्वारा निर्माण स्थल में रहे सभी 47 नग वृक्षों के पातन की अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में शीघ्रता एवं महत्ता को देखते हुए दिनांक 10.08.11 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा व दिनांक 29.08.11 को अभियन्ता (म०) व अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर समस्त वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए 47 नग पेड़ों के पातन की अनुमति हेतु अनुरोध किया गया था। प्रस्तावित भवनों के निर्माण स्थल में आ रहे वृक्षों के पातन हेतु तथा सकुलेशन भाग में आ रहे हैं शेष वृक्षों को संलग्न ले-आउट प्लान पर अंकित किया है, जिनको यथावत रखा जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रस्तावित भवनों के निर्माण स्थल के मध्य में आ रहे मात्र 47 नग वृक्षों के अनुज्ञा के साथ-साथ इन वृक्षों का मूल्यांकन भी करवाने का कष्ट करें।

निर्माण स्थल के ले-आउट प्लान पर वृक्षों की स्थिति को दर्शाते हुए।

भवदीय,

(नासिर हुसैन फांज़ली)
अधिशासी अभियन्ता

1193

/उक्त/

दिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्, गाजियाबाद।

सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-27, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्, गाजियाबाद।

वरिष्ठ अभियन्ता श्री गजेन्द्रपाल सिंह/श्री राजीव कुमार वर्मा, निर्माण खण्ड-27, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्, गाजियाबाद।

मार्ड फाईल।

History Building

Executive Engineer
Construction Division-27
U.P. Avas Evam Vikas Parishad
Vasundhara, Ghaziabad

(2)

संरक्षित

पेड़ों का संख्या डे0मी0 व्यास सेमी0में							कुल	अभ्युक्ति
1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7 से ऊपर	पेड़	
-	1	5	-	1	2	5	14	हरे स्वस्थ निर्माण में बांधक नहीं।
5	5	2	1	1	-	-	14	आपके सन्दर्भित पत्र से कुल 122 में से 45 वृक्ष घातन हेतु अनुरोध किया गया था।
3	1	3	1	-	-	-	8	जिसके अनुसार 77 पेड़ शेष होने चाहिये थे
-	-	-	-	-	-	1	1	परन्तु आपके द्वारा 5 वृक्ष अनाधिकृत रूप से काटने पर संरक्षित 72 वृक्ष शेष हैं।
-	-	-	-	-	-	1	1	काटे गये 5 वृक्षों के सम्बन्ध में रैज केस संख्या 16/2011-12 का तत्काल निस्तारण करावें।
-	1	-	-	-	-	1	1	
6	5	2	1	-	-	-	14	
-	-	1	-	-	-	-	1	
-	-	1	-	-	-	-	1	
-	-	-	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	1	-	-	1	
1	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	1	-	1	-	-	2	
-	3	-	-	-	-	-	3	
-	-	-	-	1	-	-	1	
-	2	-	-	-	-	-	2	
-	1	1	-	-	-	-	2	
-	1	-	-	-	-	-	1	
1	1	-	-	-	-	-	2	

मान की अनुमति निम्नप्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है।

प्रसंगित जारी होने की तिथि से 20(बीस) दिन के अन्दर पूरा हो जाना चाहिये।

के स्थान पर 90 नए पेड़ अपनी सुविधानुसार लगाने होंगे।

की सुरक्षा व क्षतिपूर्ति राजि वन अधिकारी गा0बाद के निर्देशन पर अपने व्यय पर करनी होगी।

हाला कोई अन्य पेड़ नहीं काटे जायेंगे।

आदेशों के उल्लंघन स्वरूप सभी क्षति व्यय उपरोक्त जमानत से वसूल कर लिया जायेगा।

पत्र सं01568/ दि0 3.12.11 के क्रम में किये गये अनुरोध के क्रम में जमानत से मुक्त किया गया।

सुगतान कर ही प्रश्नगत प्रकाश का अभिवहन करें। अन्य सभी निर्मों का पालन करें।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वाणिजी प्रभाग,
राजि गाबाद।

1 / 22-1 दिनोंकित।

अधिकारी गा0बाद को सूचनाथ प्रेषित एत नियमानुसार निकासी दी जाये तथा कटान अक्षरों के क्रम

ग- पत्र प्रस्तुत कर के उक्त में कोई अन्य वृक्ष नहीं कटा है।

धिकारी गा0बाद को सूचनाथ प्रेषित।

सुलदार गा0बाद को सूचनाथ प्रेषित।

सुत अधीक्षक गा0बाद को सूचनाथ प्रेषित।

वृक्ष इन्दिरापुरम को सूचनाथ प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वाणिजी प्रभाग,
राजिगाबाद।

Executive Engineer
Construction Division
U.P. Avas Evam Vikas Parishad
Vasundhara, Ghaziabad

3
4/8/11

राष्ट्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद
24 / 22-1 दिनोंक 8-12-2011

4/cii)

11/5/2011

अधिशाली अभियन्ता,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्
निर्माण खण्ड-27 वसुन्धरा, गा०बाद।

क्रमांक 79
पत्रांक 10
प्रांक 2563
दिनांक 12/12/11

पेड काटने की अनुमति।
आपका आवेदन पत्र 23.7.2011

आपके उक्त आवेदन पत्र एवं पुनः अपने पत्र सं० 1478/जी-10/62 दि० 16.11.11 से प्राप्त
में से चिन्हित 45 वृक्ष पातन हेतु अनुमति की माँग एवं अपने पत्र सं० 1541/जी-10/71 दि० 29.
11 से प्रस्तुत उक्त विषयक 45 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में दिये गये शपथ पत्र तथा उस पर वन
धिकारी गाजियाबाद द्वारा अपने पत्रांक 284/11-37 बी० दि० 5.12.11 द्वारा किये गये छपान के आधार
वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के प्रस्तावित 216 नग बहुमजिले भवनों के निर्माण कार्य में बाधक बल 45
(इस कार्यालय की पत्र सं० 2388/22-1) दि० 2.12.11 में अर्जित वृक्षों के काटने की अनुमति
पर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के आधार पर दी जाती है:-

क्रिया पद	पेडों की संख्या डे०मी० व्यास सेमी०में								कुल पेड	अभ्युक्ति
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7से ऊपर		
कैरिया सेमिया	-	-	1	2	-	-	-	-	3	भवनों के निर्माण में बाधक
नाग	1	9	3	2	1	-	-	-	16	
शहतूत	-	-	-	3	-	-	-	-	3	
मोपल	-	1	2	1	3	2	3	5	16	
कोतलबूश	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
गूलर	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
जनेर	-	2	-	-	-	-	-	-	2	
शीशम	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
बरगद	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
पाकड़	-	-	1	-	-	-	-	-	1	

प्रमाण 2/-पर

K. Yadav
Naubaha (Sik)

रा. नि. व. म. वि. वि.
गाजियाबाद

11/2/11
26.

Executive Engineer
Construction Division-27
U.P. Awas Ekan Vikas Parishad
Vasundhara, Ghaziabad

4/CID

क्रमिक 86
पत्रावली 6-10
पत्रांक 2632
दिनांक 17/12/11

गाजियाबादी अभियन्ता(म०),

वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर-15 में प्रस्तावित 210 नग बहुमंजिले भवनों के निर्माण में के दौरान पॉंच नग पेड़ गिर गए थे जिस पर वन विभाग मेरठ क्षेत्र उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद के वन के क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा प्रश्नगत कार्य पर लगाई गयी फर्मों पर बाद रेन्ज केस संख्या 2011-12 योजित कर मुकदमा कायम कर दिया था। जिसके फलस्वरूप वन विभाग द्वारा श्री 10 के० त्यागी, प्रोजेक्ट इंजी०, मै० दीपक बिल्डर्स, एफ-64/14 सेक्टर-40, नो० जिला-गौतमबुद्धनगर श्री वीर पाल शर्मा प्रोजेक्ट इंजी०, मै० साई कन्सट्रक्शन कं० पर रु० 10 हजार का अर्थ दण्ड लगा था। उक्त फर्मों द्वारा वन विभाग के द्वारा उन पर दायर मुकदमे को समाप्त करने के लिए प्रतिकर के रूप में रु० 10 हजार क्षेत्रीय वन अधिकारी गाजियाबाद के कार्यालय में बुक नं०-2055 क०सं०-50 के अनुसार जमा कर दिए हैं। जमा किए गए अर्थदण्ड की मूलप्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु तथा अभिलेखार्थ संलग्न है।

कृपया कार्यालय को निर्देशित करने का कष्ट करें, कि प्रस्तुत रशीद को दाखिल दफ्तर करें।

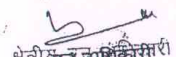
संलग्नक:- जमा रशीद।


(राजीव कुमार यादव)
सहायक अभियन्ता

ई-3 वन विभाग मेरठ क्षेत्र उत्तर प्रदेश

बुक नं० 2055 गाजियाबाद वन प्रभाग नं० 50
सा.वा. वन विभाग गाजियाबाद
श्री एच. डे. त्यागी प्रोजेक्ट इंजी०, मै० दीपक बिल्डर्स एफ-64/14 सेक्टर-40
से मुबलिया रुपये 10,000/- (दस हजार मात्र) प्राप्त किये।
बाबत देश देश सं. 16/2011-12 नं० प्रमिता

दिनांक 16/12/2011


क्षेत्रीय वन अधिकारी
गा० बाद


Executive Engineer
Construction Division-2
11 D. Avas Evam Vikas P.
Ghazipur

गान्ध २९ | दिनांक २०११

मासि दुर्गेन काजली
शशिनामी शक्ति मना।
ॐ पु. श्यामाय सं. विष्णवे नमः

क्रमांक ८८
पत्रावली G-10
पृष्ठ २७६८
दिनांक २९/१२/११

सिखाए रखने का ब्यवस्था
संसाधन : आरक्षण राजा 1673/510/87 दि 19/12/2011
अतिरिक्त

अपेक्षाएं गिराऊ एवं लक्षित करने के लिए 5 बुद्धि का संसाधन
किंग प्रकाश आपकी सेवा के तत्त्वार्थ देखते हैं।

[illegible]

प्रमाणित - 349 क्षेत्रीय वन अधिकारी
राज्य गिरिजा साहू ना. प्रकाश गिरिजा साहू को तब
को पत्र 26/6/77-1 से 26/12/77 के अन्तर्गत संलग्न

AE I / AE III
for wa. pt.
20. XII. 11
+ BE
Nile
3.1.12

असदीय

क्षेत्रीय वन अधिकारी

like

क्षेत्रीय त. अधिकारी
गा. ब. द.

Executive Engineer
Construction Division-27
U.P. Avas Evam Vikas Parishad
Vasundhra, Ghaziabad